



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India

मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.

Tel.: 26858570 Fax 26514179

Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.स. 11-E-3046/3/2024-Estt-III/2380-2387.

दिनांक: 28.03.2025

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित शिक्षक/(कों) को चयन के उपरान्त आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सहायक (Training Associates) के रूप में अगले (Next) पाँच वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01.04.2025 से कॉलम संख्या 6 के अनुसार पदस्थापित किया जाता है।

S. No.	Post	Name of the Employee	Present place of posting	Name of the RO	ZIET where posted
1	2	3	4	5	6
1	PGT(Economics)	Smt. Anita Kanajia	KV Chhatrapati Sambhajinagar Cantt. (S-I)	Mumbai	Gwalior

कर्मचारी OM No. 110338-1/2016-18/KVSHQ (Acad)/587-626 dated 05/06.03.2018 तथा OM No. 110338/1/2011-KVSHQ (Acad) dated 21.10.2011 के अनुसार प्रशिक्षण भत्ते के हकदार होंगे, ZIET में पदस्थापना के दौरान Non Vocational कर्मचारी के तरह माने जाएंगे तथा तदनुसार सेवालाभ हितों के हकदार होंगे।

उक्त कर्मचारी के.वि.सं. के नियमों के अनुसार TA/DA/Joining Time के हकदार होंगे।

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जाता है।

(सौरभ जेटली)

सहायक आयुक्त (स्थापना-2/3)

वितरण:-

1. संबंधित कर्मचारी।
2. आयुक्त, केविसं (मु.), नई दिल्ली के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केविसं (मु०), नई दिल्ली के निजी सचिव को सूचनार्थ।
4. संबंधित प्राचार्य को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वे संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करते समय यह निर्देशित करें कि वे 01.04.2025 या उसके बाद संबंधित ZIETs में रिपोर्ट करें, यदि संबंधित शिक्षक को सीबीएसई से संबंधित कोई कार्य सौंपा गया है तो उसे सीबीएसई के साथ अपने उत्तरदायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन उपरांत ही कार्यमुक्त किया जाए।
5. उपायुक्त, केविसं, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस आशय से प्रेषित किया जाता है कि वे संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित अथवा विचारधीन नहीं है तथा उनके संभाग के अंतर्गत पदस्थापित/विरमित कर्मचारी के कार्यमुक्त तथा कार्यभार ग्रहण करने के संबंधित निदेशक, केविसं ZIET से समन्वय करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6. संबंधित निदेशक, केविसं ZIET को इस आशय से प्रेषित है कि वे संबंधित कर्मचारियों के कार्यभार संभालने की तिथि इस कार्यालय को सूचित करें।
7. सहायक आयुक्त (IT), केविसं(मु०), नई दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे इस पत्र को केविसं (मु०) की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
8. अनुभाग अधिकारी, स्थापना-2/3, केविसं (मुख्यालय) नई दिल्ली को सूचनार्थ, आवश्यक कार्रवाई तथा रिक्त स्थिति में आवश्यक संशोधन हेतु।
9. कार्यालय प्रति।